न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 118/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :—** 2025/244
दायर दिनांक :— 05.06.2025 **निर्णय दिनांक :—** 23.06.2025

1. कमलकिशोर पुत्र रामकिशन जाति माली निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम्

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:निर्णय:—

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि सरहद मौजा जैतडासर पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप में प्रार्थी की खातेदारी की काश्त भूमि खसरा नम्बर 1023/950 रकबा 0.8093 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है और प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह मास निवास करता आ रहा है नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी उक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि के चिपती अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 965/2 रकबा 0.5105 हैक्टेयर भूमि ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप में आई हुई है। जिसके पास से मुडिया सड़क निकलती है जो ग्राम बाप से जैतडासर तक जाती है। प्रमाणित जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1023/952 रकबा 0.8093 हैक्टेयर की भूमि में आने—जाने हेतु अप्रार्थी की भूमि में से आना जाना पडता है। प्रार्थी की भूमि में जाने हेतु अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा पूर्व में अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 965/2 रकबा 0.5105 हैक्टेयर की भूमि में से रास्ता हेतु संलग्न नजरी नक्शा अनुसार उपयोग में ली जा रही है। प्रार्थी को आने जाने हेतु उक्त रास्ते के आलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा पूर्व में अप्रार्थी की भूमि में से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग लिया जा रहा था। अप्रार्थी उक्त रास्ते को बंद करने को आमादा है। अप्रार्थी की भूमि से लगती मुडिया सड़क जो मौके पर बाप से जेतडासर तक जाती है जिस सडक मार्ग तक पहुंच हेतु प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र नये रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली में बहस सुनी गई।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

विचाराधीन प्रकरण मे राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार बाप से निर्धारित प्रपत्र मे रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट व मौका फर्द अनुसार –

1. प्रार्थी वर्तमान मे अस्थाई तौर पर खसरा नबर 1023/950 में आने जाने हेतु रास्ता ग्राम बाप के खसरा नम्बर 965/2 के किनारे से उपयोग मे ले रहे है जो कि स्वीकृत शुदा नहीं है।
2. खसरा नंबर 1023/950 के निकटतम खसरा नम्बर 965/2 के चिपता डामर सडक है।
3. यदि खसरा नंबर 965/2 में से रास्ता दिया जाता है तो 0.0118 हैक्टेयर भूमि रास्ते मे आती है जो सबसे निकटतम व सुविधाजनक होगी।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया गया –

1. रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता।
2. वैकल्पिक रास्ते की आवश्यकता।
3. नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी, पत्रावली में संलग्न जमाबंदी, नजरी नक्शा, तहसीलदार बाप की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप के खसरा नंबर 965/2 में से मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शानुसार 0.0118 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अकंन किया जाकर मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त स्वीकृत रास्ते की एवज में डीएलसी की दुगनी दर से प्रतिकर देय होगा जिसकी गणना तहसीलदार बाप द्वारा करवाई जावेगी। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के उपरांत गै.मु.रास्ते का अकंन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार बाप को पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

23/6/25

([illegible] पिण्डेल आरएएस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)